भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3629

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

मजदूर संघों की मांगें

3629. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर संघों ने सरकार को अपनी 17-सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मजदूर संघों की मांगों पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय हित में उक्त संघों की वास्तविक मांगों पर निर्णय लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): विभिन्न ट्रेड यूनियनों के माध्यम से, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय को 17 सूत्री माँगें प्राप्त हुईं, जो केंद्रीय क्षेत्र के हड़ताल नोटिस/औद्योगिक विवादों का निपटान करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र अर्थात मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय, जो कि औद्योगिक शांति एवं सद्भाव को बनाए रखने का कार्य करता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत कार्यरत है। 17-सूत्री माँगें अनुबंध में संलग्न हैं।

की गई मांगें व्यापक नीतिगत मामलों से संबंधित हैं, तथा इस मंत्रालय के पास वर्तमान में कोई संबंधित प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

अनुबंध

"मजदूर संघों की मांगें' के संबंध में श्री कौशलेन्द्र कुमार एवं श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3629 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुबंध।

अखिल भारतीय आम हड़ताल 9 जुलाई 2025 मांग चार्टर	
1	चारों श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए।
2	असंगठित क्षेत्र के कामगारों, ठेका कामगारों और योजना कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए 26,000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ।
3	विभिन्न योजनाओं और व्यर्थ के आधारों के अंतर्गत आउटसोर्स, निश्चित अवधि के रोज़गार, शिक्षुता, प्रशिक्षु आदि जैसे किसी भी रूप में काम का अनियतीकरण (केजुलाइजेशन) न किया जाए। ठेका कामगारों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन तत्काल लागू किया जाए।
4	असंगठित कामगारों और कृषि कामगारों जैसे घरों में काम करने वाले, फेरीवाले, कूड़ा-कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, निर्माण कामगारों , प्रवासी कामगारों, योजना कामगारों, कृषि कामगारों, दुकान/प्रतिष्ठान में काम करने वाले कामगारों, लोडिंग/अनलोडिंग कामगारों, गिग कामगार , सॉल्ट पैन कामगारों, बीड़ी कामगारों ,टॉडी टैपर्स कामगारों, रिक्शा- चालक, ऑटो/ रिक्शा /टैक्सी चालक, ई- पैट्रियट कामगारों, मत्स्य पालक समुदायों आदि सहित सभी श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम 9000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उन्हें पंजीकृत किया जाए और पेंशन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी दी जाए।
5	पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। एनपीएस और यूपीएस को समाप्त किया जाए।
6	बोनस भविष्य निधि के भुगतान और पात्रता सम्बन्धी सभी सीमाएं हटाई जाएँ; ग्रेच्युटी की मात्रा में वृद्धि की जाए।
7	आवेदन जमा करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर ट्रेड यूनियन का अनिवार्य रूप पंजीकरण किया जाए। आईएलओ कन्वेंशन सी87 और सी98 में तत्काल सुधार किए जाएँ।
8	मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, खाद्यान्न, दवाइयाँ, एग्रो इनपुट और मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाया जाए, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में व्यापक कमी करें। खाद्य सुरक्षा की गारंटी दें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करें।
9	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। राष्ट्रीय मौद्रीकीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को रद्द किया जाए। खनिजों और धातुओं के खनन से संबंधित मौजूदा कानून में संशोधन किया जाए और स्थानीय समुदायों, विशेषकर

	आदिवासियों और किसानों के उत्थान के लिए कोयला खदानों सहित सभी खदानों से होने वाले लाभ में 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए।
10	खरीद गारंटी के साथ सभी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)@C-2+50% किया जाए। विधिक गारंटी के साथ किसानों के लिए बीज, उर्वरक और बिजली आदि पर इनपुट सब्सिडी बढ़ाई जाए। व्यापक ऋण माफी और फसल बीमा योजनाएँ लागू की जाएँ। केंद्र सरकार द्वारा एसकेएम को दिए गए लिखित आश्वासन को लागू किया जाए, जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन स्थगित किया गया था।
11	विद्युत् (संशोधन विधेयक 2022) वापस लिया जाय। बिजली का निजीकरण बंद किया जाए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएं।
12	काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। स्वीकृत पदों को भरा जाए और बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजित किए जाए। एमजीएनआरईएस (प्रति वर्ष 200 दिन और 600 रुपये प्रतिदिन वेतन) का विस्तार और कार्यान्वयन किया जाए। शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिनियमित किया जाए।
13	सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी दी जाए। नई शिक्षा नीति, 2020 को रद्द किया जाए। सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाए।
14	वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का कड़ाई से क्रियान्वयन हो; वन (संरक्षण अधिनियम, 2023) और जैव विविधता अधिनियम एवं नियमों में संशोधन को वापस लिया जाए, जो निवासियों को सूचित किए बिना ही केंद्र सरकार को वनों की कटाई की अनुमति देता है। जुताई करने वालों को भूमि सुनिश्चित करें।
15	कल्याण निधि से अंशदान लेकर निर्माण कामगारों को ईएसआई कवरेज प्रदान की जाए; ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी कामगारों को स्वास्थ्य योजनाओं, प्रसूति प्रसुविधा, जीवन और नि:शक्तता बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाए। घरेलू कामगारों और गृह-आधारित कामगारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के कन्वेन्शन में सुधार करें और समुचित कानून बनाएँ। प्रवासी कामगारों के लिए व्यापक नीति बनाएँ, मौजूदा अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1979 को सुदृढ़ बनाएँ ताकि उनके सामाजिक सुरक्षा कवर की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो सके।
16	अत्यंत धनी (सुपर रिच) व्यक्तियों पर कर लगाए जाएं; कॉर्पोरेट कर में वृद्धि की जाए; संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर को पुनः लागू किया जाए।
17	संविधान के आधारभूत मूल्यों-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विविध संस्कृतियां, भाषाएं, विधि के समक्ष समता और देश के संघीय ढांचे आदि पर हमले बंद किए जाएँ।